## कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

| | |
|---|---|
| उपस्थित | **श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।** |
| प्रार्थी | **सर्वश्री आजाद टिम्बर ट्रेडर्स, जलालाबाद, तह0, नजीबाबाद।** |
| प्रार्थना पत्र संख्या | **63 / 10** |
| प्रार्थी की ओर से | **श्री जितेन्द्र कुमार, अधिवक्ता।** |

## उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-63 / 10, दिनांक 21.06.10 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से **विनियर वेस्ट कटिंग,** पर करदेयता की जानकारी चाही गयी है ?

2. फर्म की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि पापुलर नामक वृक्ष से विनियर बनता है तथा विनियर से प्लाई तथा प्लाई बोर्ड का निर्माण होता है। निर्माण कार्य के दौरान विनियर वेस्ट कटिंग निकलती है जिसका कहीं उपयोग नहीं हो सकता है। अत: इसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अत: इस प्रकार की विनियर वेस्ट कटिंग जो कहीं अन्य प्रयोग में नहीं आ सकती है यह एक प्रकार की ईंधन की लकड़ी है तथा जलाने के काम आती है अत: इस पर कोई करदेयता नहीं होनी चाहिए। अपने कथन के समर्थन में उनके द्वारा कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा धारा-59 के प्रार्थना पत्र संख्या-19 / 08 (सर्वश्री प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, सहारनपुर विक्रय प्रभाग, वन विभाग, दरियापुर रोड, नजीबाबाद, बिजनौर) व धारा-59 के प्रार्थना-पत्र संख्या-17 / 08 (सर्वश्री सौरभ अग्रवाल, श्री तनवीर हसन तथा श्री इतरत अली, बॉस मण्डी, नजीबाबाद, जिला बिजनौर) के मामले में दिनांक 13.02.08 को पारित निर्णय का हवाला दिया जिसके अनुसार जो लकड़ी वृक्षों की जड़े जो कि जड़ी बूटी नहीं है तथा जो केवल जलाने के काम आती है वह उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1 के क्रमांक-15 के अन्तर्गत जलौनी होने के कारण करमुक्त रहेगी। माननीय कमिश्नर, वणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का उक्त निर्णय उनके मामले में भी लागू होना चाहिए।

3. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, की प्रविष्टि संख्या-15 निम्नवत है :-

| | |
|---|---|
| 15 | Fire wood except Casurina & Eucalyptus timber. |

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-51 निम्नवत है :-

| | |
|---|---|
| 51 | Old, discarded, unserviceable or obsolete machinery, stores and vehicles including waste products (*vide Noti.no.-KA.NI-2-570A/XI-9(1)/08....dated 04-03-08 effective from 1-1-08)* |

4. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन के पत्रांक-2077, दिनांक 08.09.10, एवं

.....2

डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, नजीबाबाद के पत्र संख्या-1603, दिनांक 04.08.10 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार जलाऊ लकड़ी वृक्षों से प्राप्त होती है अत: इस आधार पर इसे जलाऊ लकड़ी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, परन्तु चूँकि यह वेस्ट है अत: इस कारण से इसका उपयोग जलाने में अवश्य होता है। अत: उपयोग की दृष्टि से कहीं अन्यत्र उपयोग न होने वाली विनियर वेस्ट कटिंग को जलौनी माना जा सकता है। कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निम्नलिखित दो निर्णयों में इस प्रकार का निर्णय दिया गया है जिसमें माल के उपयोग के आधार पर माल को जलौनी माना गया है :-

1. सर्वश्री सर्वश्री प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, सहारनपुर विक्रय प्रभाग, वन विभाग, दरियापुर, नजीबाबाद, बिजनौर (धारा-59 का प्रार्थना-पत्र संख्या-19 / 08 तथा आदेश का दिनांक 13.02.08)।

2. सर्वश्री सौरभ अग्रवाल, श्री तनवीर हसन तथा श्री इतरत अली, बॉस मण्डी, नजीबाबाद, जिला बिजनौर (धारा-59 का प्रार्थना-पत्र संख्या-17 / 08 तथा आदेश का दिनांक 13.02.08)।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली एवं माल के सैम्पल आदि का अवलोकन किया गया। उपरोक्त समस्त तथ्यों को देखने से स्पष्ट होता है कि विनियर वेस्ट कटिंग एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है यह उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-51 के अन्तर्गत वेस्ट प्रोडक्ट के अन्तर्गत आता है। अत: **विनियर वेस्ट कटिंग**, पर 4% (अतिरिक्त कर अतिरिक्त) की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 8 जून, 2011

ह0 / 08.06.2011

**(चन्द्रभानु)**

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।